संख्याः- 540 /VI(1)/2013-02(17)/2011

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पर्यटन निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग-1 देहरादून दिनांक/8 फरवरी, 2013

विषयः-वित्तीय वर्ष 2012-13 में आयोजनागत मद में उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद को अनुदान हेतु अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राप्त धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-356/2-3-43/2012, दिनांक 07 फरवरी, 2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद को अनुदान हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि ₹ 150.00 लाख **(₹ एक करोड़ पचास लाख मात्र)** व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(I) धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सबनध में समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(II) व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 तथा इसके कम में समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

(III) वितरण अधिकारी के द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण का रजिस्टर बी0एम0-8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा और पूर्व के माह का व्यय विवरण उक्त अधिकारी के द्वारा अनुवर्ती माह की 05 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय-13 के प्रस्तर-116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा और प्रस्तर-128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी द्वारा पूववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा और नियमित रूप से सरकार/शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर को अवगत कराया जायेगा। प्रशासनिक विभाग प्रस्तर-130 के अधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।

(IV) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही मदों में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत की जा रही है मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा बजट योजनावार आवंटन उसके विपरीत मासिक योजनावार व्यय का विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

..2

(V) उपरोक्त धनराशि के उपयोग की पुष्टि एवं विगत वर्ष अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रपत्र पर उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर तथा नियोजन विभाग से अन्तिम आउट ले की पुष्टि करने के उपरान्त शेष धनराशि अवमुक्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

(VI) वित्तीय वर्ष के अन्त में कृत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र भी शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

2– स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2013 तक अवश्य कर लिया जाय।

3– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–26 के लेखाशीर्षक 3452–पर्यटन–80–सामान्य–00–आयोजनागत–001–निदेशन तथा प्रशासन –03–उत्तराखण्ड राज्य पर्यटन विकास परिषद–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

4– उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत अलोटमेंट आईडी–S1302260261 द्वारा निर्गत किया जा रहा है।

5– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0–983/XXVII(2)/2012, दिनांक 14 फरवरी, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
अपर सचिव।

संख्याः–540/VI(1)/2013–02(17)/2011, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6– बजट अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन।
7– वित्त अनुभाग–2.
8– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
अपर सचिव।